

::सूचना::

NCTE (WRC) द्वारा जारी पब्लिक नोटिस के अनुसार डी.एल.एड. एवं बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की सूची जारी की गई है जिनके द्वारा 2020–21 के लिये PAR की पूर्ति नहीं की गई थी।

NCTE द्वारा इन संस्थानों में सत्र 2022–23 को शून्य वर्ष घोषित किया गया था। मान. उच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्देश के अनुक्रम में NCTE के दिनांक 10 जून, 2022 के पब्लिक नोटिस द्वारा शून्य वर्ष घोषित करने संबंधी आदेश को स्थगन दिया गया है।

उक्त स्थगन आदेश के आधार पर संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। छात्रहित में सुझाव दिया जाता है कि संस्थान की च्वाइस भरने के पहले/प्रवेश लेने के पूर्व <https://www.ncte.gov.in/website/WRC> पर उक्त सूची देखने के पश्चात् ही कार्यवाही की जाये।

(संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा अनुमोदित)